राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – राजपाल यादव, आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर– 203/2020

ज्ञाना देवी पत्नि बंशीराम उम्र 70 वर्ष जाति गुर्जर निवासी वार्ड नं. 13, बेसरड़ा तहसील खेतड़ी, जिला झुझुनूं (राज)

.... प्रार्थीया

ब–ना–म

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी, जिला झुन्झुनू (राज)

.........अप्रार्थी

प्रार्थन पत्र – नाम दुरूस्ती

निर्णय **दिनांक 22–02–2021**

प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वाके ग्राम बेसरड़ा पटवार हल्का मेहाड़ा जाटुवास तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.) स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2076 लगायत 2079 के खाता संख्या 83 में दर्ज बंशी पुत्र मीरू व खाता संख्या 109 में दर्ज बन्शी पुत्र मोहरिया उर्फ मीरू तथा खाता संख्या 247 में दर्ज बन्शीराम पुत्र पीरू के स्थान पर बंशीराम पुत्र मीरूराम दर्ज करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार खेतड़ी से प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में चाहे गये अनुतोष के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार खेतड़ी से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीया के पति का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जाना उचित है।

प्रार्थी की ओर से साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबंदी संवत् 2076–79 खाता सं. 83, 109, 247 ग्राम बेसरड़ा पेश की गई तथा गवाह सीताराम पुत्र इन्द्राज जाति गुर्जर उम्र 60 वर्ष निवासी बेसरड़ा व बिहारीलाल पुत्र रामरतन जाति गुर्जर उम्र 80 वर्ष निवासी बेसरड़ा के शपथ पत्र पेश किये गये।

बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं प्रार्थना पत्र के अभिवचनों तथा जांच रिपोर्ट तहसीलदार खेतड़ी का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। राजस्व ग्राम बेसरड़ा पटवार हल्का मेहाड़ा जाटुवास तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.) स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2076 लगायत 2079 के खाता संख्या 83 में दर्ज बंशी पुत्र मीरू व खाता संख्या 109 में दर्ज बन्शी पुत्र मोहरिया उर्फ मीरू तथा खाता संख्या 247 में दर्ज बन्शीराम पुत्र पीरू के स्थान पर बंशीराम पुत्र मीरूराम दुरूस्त किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम बेसरड़ा पटवार हल्का मेहाड़ा जाटुवास तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.) स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2076 लगायत 2079 के खाता संख्या 83 में दर्ज बंशी पुत्र मीरू व खाता संख्या 109 में दर्ज बन्शी पुत्र मोहरिया उर्फ मीरू तथा खाता संख्या 247 में दर्ज बन्शीराम पुत्र पीरू के स्थान पर बंशीराम पुत्र मीरूराम दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार खेतड़ी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22–02–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with CamScanner